



अपने भविष्य के क़ानूनी, स्वास्थ्य व वित्तीय निर्णयों के लिए पहले से योजना बनाएँ

यह करना, जो आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक आसान है। केवल तीन सरल कदम उठाने हैं:

- वसीयतनामा तैयार करें
- Power of Attorney (मुख्तारनामा) बनाएँ
- Enduring Guardian (स्थाई अभिभावक) नियुक्त करें

Will (वसीयतनामा), मुख्तारनामा व स्थाई अभिभावक - यह सभी क्रानूनी काग़ज़ात हैं जो भविष्य की योजना बनाने के लिए चाहिए। ये आपके भविष्य के क्रानूनी, स्वास्थ्य व वित्त संबंधी निर्णयों में उपयोगी होंगे।

भविष्य की योजना बनाने में ये काग़ज़ात क्यों महत्वपूर्ण हैं?

जब आपके भविष्य की योजना बनाने के काग़ज़ात ठीक से तैयार हों तो आप निश्चिन्त रह सकते हैं कि यदि आपके जीवन के दौरान आपकी परिस्थिति बदलती है तो आपकी व आपके प्रियजनों की देखभाल की जाएगी। यदि आपके अधिकारों व इच्छाओं को ठीक से लिखा गया है तो उनका पालन किया जाएगा।

जब आपके भविष्य की योजना बनाने के काग़ज़ातों की ज़रूरत हो पर वे तैयार नहीं हों तो आपकी तरफ से निर्णय लेने के लिए कोर्ट या ट्राईब्यूनल किसी को नियुक्त करेगा। जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं कि वह आपकी तरफ से निर्णय करे, उसका चुनाव करने का अवसर आप खो देंगे। इसलिए निश्चित रूप से भविष्य की योजना बनाना बेहतर है।

कदम 1

वसीयतनामा तैयार करें

वसीयतनामा एक क्रानूनी काग़ज़ात है जिसमें बताया जाता है कि आपकी मौत होने पर आप क्या चाहते हैं कि आपकी जायदाद किसको मिलनी चाहिए। वसीयतनामा लिखने से आप यह सुनिश्चित करेंगे कि आपकी मौत के बाद आपकी इच्छा अनुसार आपकी जायदाद बँटी जाए। यदि आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत कुछ नहीं है तो भी यह सलाह दी जाती है कि आप वसीयतनामा बनाएँ।

अपने आप से लिखे जाने वाले Will Kits (वसीयतनामा लिखने का सामान) के लिए सलाह नहीं दी जाती क्योंकि वसीयतनामे के लिए कड़ी क्रानूनी ज़रूरते पूरी करनी होती हैं। कोई भी जो क्रानूनी रूप से योग्य नहीं है उसके द्वारा ग़लती करने या अनिश्चितता होने का खतरा होता है। घर में लिखे गए वसीयतनामे में अस्पष्ट बातें लिखा जाना आम बात है। वैधता और शब्दों पर सवाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया जाना चाहिए और इसके परिणामस्वरूप बड़ी लागत और देरी हो सकती है।

क्या आपके पास पहले से ही वसीयतनामा है? तो सोचिए कि क्या उसमें परिस्थिति के अनुसार बदलाव करना चाहिए। वे स्थितियाँ जिनके कारण वसीयतनामे में नया बदलाव करना पड़ सकता है वे निम्नलिखित हैं:

- ✓ शादी
- ✓ घर खरीदना
- ✓ अलग हो जाना या तलाक
- ✓ आपके परिवार में बच्चों या पोते/पोती का जन्म होना
- ✓ रिटायर हो जाना
- ✓ लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति या वसीयतनामा कार्यान्वित करने के लिए नामांकित व्यक्ति की मौत हो जाना

वसीयतनामा एक क्रानूनी काग़ज़ात है जिसमें बताया जाता है कि आपकी मौत होने पर आप क्या चाहते हैं कि आपकी जायदाद किसको मिलनी चाहिए।

वसीयतनामे को कार्यान्वित करने वाला क्या करता है?

वसीयतनामे को कार्यान्वित करने वाला व्यक्ति, वसीयतनामा लिखने वाले व्यक्ति की मौत के बाद, उसकी इच्छाओं को पूरा करता है। उसकी भूमिका है वसीयतनामे की शर्तों के अनुसार संपत्ति का प्रबंधन करे, शासकीय कार्यों को देखे व संपत्ति की रक्षा करे। वसीयतनामे को कार्यान्वित करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह उन सभी क्रानूनों व नियमों का पालन करे जो मृत व्यक्तियों की संपत्ति के प्रशासन के संचालन में लागू होते हैं। उन्हें आपकी इच्छाओं को पूरा करने में लाभ प्राप्त कर्ताओं के बीच उठने वाले झगड़ों को भी निबटाना पड़ सकता है।

वसीयतनामे को कार्यान्वित करने वाले व्यक्ति को कठिन काम करने की भूमिका निभानी पड़ती है और ऐसे व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए जिस पर भरोसा किया जा सके - या आप किसी वकील, अकाउंटेंट या NSW Trustee & Guardian (NSW न्यायधारी व अभिभावक) के बारे में सोच सकते हैं यदि आप दुःख के समय परिवार या मित्रों पर यह भार नहीं डालना चाहते।

किसे भविष्य की योजना बनानी चाहिए?

कोई भी जो 18 वर्ष की आयु से ऊपर हो और उसमें क्षमता हो, उसे भविष्य की योजना बनानी चाहिए। क्षमता का अर्थ है किसी व्यक्ति की अपने निर्णय लेने के महत्व को समझना व उसकी सराहना करना। यदि किसी व्यक्ति में ये क्षमता नहीं है तो जो निर्णय वह लेगा तो हो सकता है कि वह क़ानूनी रूप से माना न जाए।

यदि आप सोचते हैं कि आपके किसी प्रियजन को यह एक या सभी कागज़ात बनाने चाहिए तो उन्हें planningaheadtools.com.au की वेबसाईट के बारे में बताएँ। बातचीत शुरू करने के लिए यह एक अच्छा तरीका है।

भविष्य की योजना बनाने की प्रक्रिया मैं कहाँ से शुरू कर सकता/सकती हूँ?

भविष्य की योजना बनाने संबंधी कागज़ातों को किसी क़ानूनी व्यवसायिक जैसे कि वकील या NSW न्यायधारी व अभिभावक द्वारा बनाने चाहिए।

कदम 2

मुख्तारनामा (Power of Attorney) बनाना

पावर ऑफ अटोर्नी एक क़ानूनी कागज़ात है, जिसके द्वारा आपकी पसन्द के एक व्यक्ति या न्यायधारी संगठन को नियुक्त किया जाता है जो आपके ज़िन्दा रहने पर आपके वित्तीय व क़ानूनी मामलों का प्रबंधन करता है। इस व्यक्ति को आपका अटोर्नी (न्यायवादी) माना जाता है। आम अटोर्नी आपकी चिकित्सीय इलाज या भलाई संबंधी निर्णय नहीं ले सकता है। पावर ऑफ अटोर्नी आपकी मौत के बाद समाप्त हो जाती है।

अटोर्नी मेरे मामलों का प्रबंधन कब कर सकता है ?

आप पावर ऑफ अटोर्नी बनाने का फ्रैंसला कर सकते हैं क्योंकि आप विदेश जा रहे हैं और आप अपने अटोर्नी को अपने बैंक अकाउन्ट को उपयोग करने की अनुमति देते हैं जिससे वह जब आप बाहर हों तो आपके बिल अदा कर सकता है या आपकी वित्तीय स्थिति को नियंत्रित कर सकता है। या फिर आपकी बीमारी के कारण यदि आप अपने वित्तीय मामलों को नहीं देख सकते तो यह लाभदायक होगा कि आप पावर ऑफ अटोर्नी को नियुक्त करें। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपने वित्तीय मामलों पर अपना नियंत्रण खो देंगे। यह केवल आपके निर्देश के अनुसार अटोर्नी को औपचारिक रूप से अधिकार देता है। आपके पावर ऑफ अटोर्नी को कभी भी रद्द किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसा करने के लिए आपकी मानसिक क्षमता ठीक हो।

पावर ऑफ अटोर्नी एक क़ानूनी कागज़ात है जिसके द्वारा आपकी पसन्द के व्यक्ति या न्यायधारी संगठन को नियुक्त किया जाता है, जो आपके जीवित होने के दौरान आपके वित्तीय व क़ानूनी मामलों का प्रबंधन करता है।

एक आम पावर ऑफ अटोर्नी व Enduring Power of Attorney (स्थाई पावर ऑफ अटोर्नी) में क्या अंतर होता है?

यदि कोई व्यक्ति अपनी क्षमता खो बैठता है तो एक आम पावर ऑफ अटोर्नी का असर समाप्त हो जाता है। स्थाई पावर ऑफ अटोर्नी का प्रभाव तब भी रहता है जब कोई व्यक्ति अपने मामलों का नियंत्रण करने की क्षमता खो देता है। आप कोई भी चुन सकते हैं पर आपको स्थाई पावर ऑफ अटोर्नी के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि भविष्य में आप अपनी क्षमता खो सकते हैं या जब आपकी उम्र बढ़ जाती है। एक बार आपकी क्षमता चली जाती है तो आपका किसी को चुन कर नियुक्त करने का अवसर चला जाता है। यदि आप अपने मामलों का नियंत्रण नहीं कर पाते और आपका कोई स्थाई पावर ऑफ अटोर्नी नहीं है तो आपके किसी कोर्ट या ट्राईब्यूनल में आवेदन-पत्र देना होगा जिससे आपके मामलों के लिए एक वित्तीय मैनेजर को नियुक्त किया जा सके।



कदम 3

एक स्थाई अभिभावक (Enduring Guardian) को नियुक्त करना

यदि आपकी क्षमता चली जाती है और आप भविष्य में कभी अपने बारे में निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं तो स्थाई अभिभावक आपके लिए स्वास्थ्य व जीवनशैली संबंधी निर्णय ले सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप दोनों स्थाई अभिभावक व पावर ऑफ़ अटोर्नी रखें। आपका अटोर्नी ये निर्णय नहीं ले सकता कि आप कहाँ रहें, आपका कौनसा इलाज किया जाना चाहिए या आपको कौनसी सेवाएँ मिलनी चाहिए। आपका स्थाई अभिभावक ये निर्णय ले सकता है। आपके स्थाई अभिभावक की नियुक्ति तभी प्रभावशाली होती है जब आपमें अपने स्वास्थ्य व जीवनशैली संबंधी निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहती।

स्थाई अभिभावक निम्नलिखित के बारे में निर्णय लेता है:

- ✓ रहने का स्थान
- ✓ स्वास्थ्य देखभाल
- ✓ मेडिकल/दॉत संबंधी अनुमति
- ✓ सेवाएँ जैसे कि मील्ज़ ऑन वील्ज़

अपना स्थाई अभिभावक नियुक्त करने का फ़ैसला करते समय आपको सोचना चाहिए कि कौन आपकी मान्यताओं व इच्छाओं को सबसे अच्छी तरह समझेगा व किसमें आपके लिए अच्छे निर्णय लेने की दक्षता होगी।

यदि आपकी क्षमता चली जाती है और आप भविष्य में कभी अपने बारे में निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं तो स्थाई अभिभावक आपके लिए स्वास्थ्य व जीवनशैली संबंधी निर्णय ले सकता है।

हो सकता है कि आप Advance Care Planning (अग्रिम देखभाल योजना) के बारे में विचार करना चाहें

अग्रिम देखभाल योजना एक कार्यविधि है जो आपको भविष्य के लिए मेडिकल देखभाल की योजना बनाने में सहायता देती है। इस कार्यविधि में आप यह सोचते हैं कि जब आप अपने आप निर्णय नहीं ले पाएँगे उस समय आपकी मान्यताओं, विश्वासों और आपकी इच्छाओं को देखते हुए आप किस प्रकार की मेडिकल व स्वास्थ्य देखभाल लेना चाहेंगे। योजना बनाने की प्रक्रिया का एक आवश्यक अंश है कि आप उन लोगों से जो आपके प्रिय हैं व अपने डॉक्टर से भी अपनी इच्छाओं के बारे में बात करें।

अग्रिम देखभाल आदेश क्या होता है?

अग्रिम देखभाल योजना प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, हो सकता है आप Advance Care Directive (अग्रिम देखभाल आदेश) लिखने का फ़ैसला करें। आपको कोई जानलेवा बीमारी होने या चोट लगने पर आप किस प्रकार का इलाज करवाना चाहेंगे व जो इलाज आप नहीं करवाना चाहेंगे, इस संबंध में आपकी विशेष इच्छाओं को अग्रिम देखभाल आदेश में रिकॉर्ड किया जाता है। अग्रिम देखभाल आदेश आमतौर पर अपने डॉक्टर व परिवार से सलाह करने के बाद, आप अपने आप लिखते हैं। यदि ठीक से किया जाए तो यह क्रान्तन लागू होता है।

भविष्य की योजना बनाने के बारे में जाँच-सूची

जाँच-सूची आपको सहायता देगी कि भविष्य की योजना बनाने से पहले आपको क्या-क्या सोचना चाहिए व काग़ज़ात बनाने के लिए हो रही मीटिंग में आपको क्या लाने की आवश्यकता है।

आपका वसीयतनामा

- आपकी संपत्ति का विवरण जैसे कि जायदाद, बैंक अकाउन्ट, सुपरऐनूएशन व निवेश
- लाभ प्राप्तकर्ता - आपकी संपत्ति किसको मिलेगी? उनके नाम व पते दें
- विशेष उपहार जो आप देना चाहते हैं, जैसे कि क्या आप निजी चीजें या कुछ पैसा किसी व्यक्ति या संस्था को देना चाहते हैं? आप किसी धर्मार्थ संस्था या आपके पालतू जानवर की देखभाल करते रहने वाली संस्था को कुछ उपहार देने की सोच सकते हैं।
- उन लोगों के नाम जिन्हें आप अपने बच्चों का अभिभावक नियुक्त करना चाहते हैं
- कार्यान्वित करने वाला व्यक्ति - किसी संस्था या व्यक्ति विशेष का नाम जो आपके वसीयतनामे में दी गई इच्छाओं को लागू करेंगे।
- आपकी अंत्येष्टि के प्रबंध का विवरण
- अपनी मीटिंग में अपने पहचान के काग़ज लाएँ

Powers of Attorney (पावर ऑफ अटोर्नी)

- अटोर्नी - उस व्यक्ति या न्यायधिकारी संगठन का नाम जिसे आप चाहते हैं कि आपके लिए आपकी तरफ से संपत्ति व वित्तीय निर्णय ले। यह नाम ऐसे व्यक्ति या न्यायधिकारी संगठन का होना चाहिए जिन पर आपको भरोसा है, जो आपकी इच्छाएँ जानते हैं, उनमें वित्तीय मामलों का नियंत्रण करने की दक्षताएँ हैं, इसमें उनकी निजी अभिरुचि न हो और वे हमेशा आपके हित में ही काम करेंगे।
- इसका भी निर्णय लें कि क्या आप चाहेंगे कि यदि आप अपनी क्षमता खो देते हैं तब भी आपका अटोर्नी निर्णय लेता रहे, अर्थात् क्या आप स्थाई पावर ऑफ अटोर्नी बनाना चाहेंगे?
- एक विशेष रूप से योग्य साक्षी के सामने अपने पावर ऑफ अटोर्नी पर हस्ताक्षर करने का प्रबंध करें, और उसके सामने ही आपके अटोर्नी को भी अपनी नियुक्ति स्वीकार करनी होगी
- अपने टैक्स फ़ाईल नम्बर व पहचान के काग़ज मुलाक़ात के समय लेकर आएँ (100 पॉइंट)

Enduring Guardianship (स्थाई रूप से अभिभावक के कार्य करने वाला)

- ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो आप चाहते हैं कि आपके स्वास्थ्य व जीवनशैली संबंधी निर्णय ले
- उन निर्णय लेने वाले क्षेत्रों का फ़ैसला करें जिन पर आपके अभिभावक का अधिकार होगा
- यह भी सोचें कि क्या कोई विशेष निर्देश हैं जो आप अपने अभिभावक को देना चाहेंगे
- आप व अपने भावी अभिभावक को स्थाई अभिभावक नियुक्त करने के फ़ॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिए फ़ॉर्म का प्रबंध करें, जो एक योग्य साक्षी के सामने होना चाहिए।
- मिलने के समय पहचान के काग़ज लेकर आएँ

Advance Care Planning and Directives (अग्रिम देखभाल योजना व निर्देश)

- अपने भविष्य में जो स्वास्थ्य व मेडिकल देखभाल आप चाहते हैं उसके बारे में अपने परिवार व डॉक्टर से बात करें
- अपने डॉक्टर से कहें कि वह आपकी अग्रिम देखभाल योजना संबंधी काग़ज़ातों को आपके मेडिकल रिकॉर्ड में शामिल कर दे।
- यदि आपके इलाज संबंधी कोई विशेष स्वास्थ्य देखभाल आदेश हैं तो उन्हें लिखें

भविष्य के लिए योजना बनाने संबंधी आपके काग़ज़ातों को संभाल कर रखना

- यह फैसला करें कि भविष्य के लिए योजना बनाने संबंधी अपने काग़ज़ातों को संभाल कर कहाँ रखना है

भविष्य के लिए योजना बनाने संबंधी आपके काग़ज़ातों को आरम्भ करने के लिए संपर्क:

NSW Trustee & Guardian

1300 364 103

tag.nsw.gov.au

The Law Society of New South Wales वकील हूँढ़ने के लिए

02 9926 0300 (Sydney) or 1800 422 713 (outside Sydney)

lawsociety.com.au

भविष्य के लिए योजना बनाने संबंधी काग़ज़ातों के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें planningaheadtools.com.au या [facebook.com/planningaheadtools](https://www.facebook.com/planningaheadtools)

भविष्य के लिए योजना बनाने संबंधी कागजातों को कहाँ रखना चाहिए?

यह अच्छा रहेगा कि आप अपने भविष्य की योजना बनाने संबंधी कागजातों को सुरक्षित स्थान पर रखें। कई ऑस्ट्रेलिया वासी अपना वसीयतनामा घर पर फाइलें रखने की अलमारी या दराज में रखते हैं जहाँ वह खो या खराब हो सकता है या चोरी हो सकती है। NSW Trustee & Guardian Will Safe (NSW न्यायधारी व अभिभावक वसीयतनामा सेफ़) आपके भविष्य की योजना बनाने संबंधी कागजातों को सुरक्षित रूप से रखता है।

भविष्य के लिए योजना बनाने संबंधी आपके कागजातों को आरम्भ करने के लिए संपर्क:

NSW Trustee & Guardian

1300 364 103

tag.nsw.gov.au

The Law Society of New South Wales वकील ढूँढने के लिए

02 9926 0300 (Sydney) or

1800 422 713 (outside Sydney)

lawsociety.com.au

भविष्य के लिए योजना बनाने संबंधी कागजातों के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें planningaheadtools.com.au या [facebook.com/planningaheadtools](https://www.facebook.com/planningaheadtools)

यदि आपको दुभाषिए की आवश्यकता है तो कृपया अनुवाद व दुभाषिया सेवा (TIS National) को 131450 पर फ़ोन करें और उनसे कहें कि वे Planning Ahead Tools (प्लानिंग अहैड टूल्स भविष्य की योजना बनाने संबंधी उपकरण) जानकारी लाईन को 1300 887 529 पर फ़ोन करें।



NSW Trustee & Guardian

WILL SAFE

आपके वसीयतनामे, पावर ऑफ़
अटोर्नी व स्थाई अभिभावक
संबंधी कागजातों के रखने के लिए
सुरक्षित स्थान

कागजातों को रखने का स्थान
सुरक्षित, आग से बचाने वाला
कागजातों को रखने का स्थान

डिजीटल कॉपी बनाकर
रखी जाती हैं

NSW सीनियर
कार्ड धारकों
को आम शुल्क में
40% की छूट*

*जब तीनों कागजात
जमा किए जाएँगे।

NSW Trustee & Guardian से मिलने का समय निश्चित करने के लिए आज ही
फ़ोन करें: 1300 364 103 या www.tag.nsw.gov.au



NSW Trustee
& Guardian